

## क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन

### चर्चा में क्यों?

17 फरवरी 2025 को [जयपुर](#) में संयुक्त क्षेत्रीय [राजभाषा सम्मेलन](#) का आयोजन किया गया।

### मुख्य बंदि

- **सम्मेलन के बारे में:**
  - यह सम्मेलन [गृह मंत्रालय के राजभाषा वंभाग](#) की ओर से आयोजित किया गया।
- **अतथि:** मुख्य अतथि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जबकि केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय वशिष्ट अतथि के रूप में कार्यक्रम में मौजूद रहे।
- इस सम्मेलन में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, [राष्ट्रीयकृत बैंकों](#), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों से लगभग **3000 लोगों ने भाग लिया**।
- सरकारी कामकाज में हंदि के अधिकाधिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले संस्थानों को सम्मानित भी किया गया।
- **उद्देश्य:** इस सम्मेलन का उद्देश्य सरकारी वंभागों में हंदि के प्रयोग को बढ़ावा देना था।

### हंदि भाषा के बारे में:

- **परचिय:**
  - हंदि एक [इंडो-आर्यन भाषा](#) है, जो मुख्य रूप से [भारतीय उपमहाद्वीप](#) में बोली जाती है। यह [भारतीय संवंधान](#) के अनुसार [भारत](#) की प्रमुख [राजभाषा](#) है और यह [भारतीय समाज](#), [संस्कृत](#) और [साहित्य](#) में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है।
  - यह दुनिया की [तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा](#) है और [यूनेस्को](#) महा सम्मेलन की दस आधिकारिक भाषाओं में से एक है।
- **इतहास:** हंदि का विकास [संस्कृत](#) से हुआ है और इसे [भारतीय उपमहाद्वीप](#) में प्राचीन काल से बोला जाता है। समय के साथ, हंदि ने [फारसी](#), [अरबी](#) और [अंगरेज़ी](#) भाषाओं से भी शब्द ग्रहण किये हैं, वशिषकर [मुगल साम्राज्य](#) और [बरटिश शासन](#) के दौरान।
- **लपि:** हंदि की लपि [देवनागरी](#) है, जो [संस्कृत](#) की लपि से विकसित हुई है। इसमें **11 स्वर** और **33 व्यंजन** होते हैं। [देवनागरी लपि](#) का उपयोग न केवल हंदि बल्कि कई अन्य भारतीय भाषाओं के लिये भी होता है।
- **भाषायी वविधिता:** हंदि भाषा में कई बोलियाँ हैं, जैसे कि [अवधी](#), [भोजपुरी](#), [बरज](#), [हरयाणवी](#), [मारवाड़ी](#) आदि।
- **वसितार:** हंदि न केवल [भारत](#) में, बल्कि [नेपाल](#), [पाकस्तान](#), [मलेशिया](#), [थाईलैंड](#), [फजी](#) और अन्य देशों में भी बोली जाती है।
- **संवंधान में स्थान:** भारतीय संवंधान के [अनुच्छेद 343](#) के तहत हंदि को संघ की [आधिकारिक भाषा](#) के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके अलावा, हंदि को [आठवीं अनुसूची](#) में सूचीबद्ध **22 अनुसूचित भाषाओं** में से एक माना गया है।